न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

ठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
ाद सं0 : 532 सन 2018
नवान :–

1. भादरराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
2. जयसिह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12·11·18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 19/40 के प0न0 317/379(40) के किला न0 16/0.2530 ,भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वादी ने जरिये बेयनामा दिनांक 24.01.2017 को जरिये बेयनामा प्रतिवादी संख्या 1 से 0.01897हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 0.01265हैक भूमि यानि कुल 0.03162हैक भूमि खरीद की थी एवं खरीद के समय से ही भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसका वादी खातेदार काश्तकार हो गया है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी के नाम से दर्ज नही है वादी अपनी खरीद की गई भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हिस्सा से कम की जाकर वादी अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद मुताबिक बैयनामा डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 2 ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 19/40 के प0न0 317/379(40) के किला न0 16/0.2530 ,भूमि स्थित है। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 से 0.01897हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 0.01265हैक भूमि यानि कुल 0.03162हैक भूमि बेचान वादी को की गई थी जो उनके कब्जा काश्त में है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐजराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर वकील वादी का सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मोजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 19/40 के प0न0 317/379(40) के किला न0 16/0.2530 ,भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है जिसमें से वादी ने जरिये बेयनामा दिनांक 24.01.2017 को जरिये बेयनामा प्रतिवादी संख्या 1 से 0.01897हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 0.01265हैक भूमि यानि कुल 0.03162हैक भूमि खरीद की थी एवं खरीद के समय से ही भूमि कब्जा काश्त में चली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आ रही है जिसका वादी खातेदार काश्तकार हो गया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मोजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 19/40 के प०न० 317/379(40) के किला न० 16/0.2530 ,भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें से वादी ने जरिये बेयनामा दिनांक 24.01.2017 को जरिये बेयनामा प्रतिवादी संख्या 1 से 0.01897हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 0.01265हैक भूमि यानि कुल 0.03162हैक भूमि खरीद की गई है जो प्रस्तुत बैयनामा से साबित है बैयनामा के अनुसार वादी खरीद की गई भूमि का खातेदार काश्तकार है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी के द्वारा खरीद की गई भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की आपसी सहममि व साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है अतः वादी वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 19/40 की कुल 0.253हैक भूमि में सुयक्त तौर से 0.01362हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से 1–1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में से एक हिस्सा कम की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official